राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित : **अतारांकित**

प्रश्न संख्या : **191**

दिनांक : **26.08.2019**

प्रश्नकर्त्ता का नाम : **श्री प्रवीण कुमार**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

	प्रश्न	उत्तर
क)	परिवार कल्याण की कौन–कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं,	वर्तमान में परिवार कल्याण विभाग द्वारा लागू योजनाएं :– **मातृ स्वास्थ्य** योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं : 1. **जननी सुरक्षा योजना** :– अनुसूचित जाति/जनजाति गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के लिए एवं गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं गृह प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि 600 रूपये (शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए), 700 रूपये (ग्रामिण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए) और 500 रूपये (गृह प्रसव के लिए) गरीबी रेखा से नीचे की सभी महिलाओं को प्रसव के उपरान्त /पश्चात् दिये जाते हैं । 2 **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** :–इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानो मे गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत नि:शुल्क प्रसव, गर्भावस्था के दौरान एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं के नि:शुल्क इलाज की सुविधा के साथ एक साल तक के अस्वस्थ बच्चों के लिए नि:शुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है । साथ ही नि:शुल्क आहार, रक्तदान और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। 3 **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान**:–यह अभियान हर महिने की नौ दिनाक को मनाया जाता है । दूसरी एव तीसरी तिमाही गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता प्रसव पूर्व जांच देखभाल के लिए 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' चलाया गया है । यह गुणवत्ता प्रसव पूर्व जांच भारी जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाऐगा और उन्हें बडे अस्पताल में रेफरल करेगा इससें हम उन महिलाओं में जटिल स्थिति पैदा होने से रोक सकते हैं या कम कर सकते है ।'इससे हमारी महिलाओं की मातृ मृत्यु दर कम कर सकते है । **बाल स्वास्थ्य** योजनाओं के अंतगर्त दी जाने वाली सुविधाएं:– – स्पेशलाइज्ड न्यूरोबोर्न केयर यूनिट (SNCU) – न्यू बोर्न केयर कॉर्नर (NBCC) – पोषण पूनर्वास केंद्र (NRC) – कंगारू मदर केयर (KMC) – माता का सम्पूर्ण स्नेह कार्यक्रम (MAA) – शिशू यग चाईल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेज (IYCF) – चाईल्ड डैथ रिव्यू (CDR) – गहन डायरिया नियंत्रण पखवाडे (IDCF) **किशोर स्वास्थ्य** योजनाओं के अंतगर्त दी जाने वाली सुबिधाएं :– – विफ्स (साप्ताहिक ऑयरन व फोलिक एसिड अनुपूरण) कार्यक्रम : अनीमिया रोकथाम नीति के अंतगर्त साप्तहिक आई0एफ0ए0 की गोलियां प्रत्येक बुधवार को दिल्ली सरकार के सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आंगनवाडियों के माध्यम से 10 से 19 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को नि:शुल्क वितरित की जाती है । – राष्ट्रीय कृमि मुक्ति (डी0 वर्मिंग दिवस) अनीमिया रोकथाम कार्यक्रम नीति के अंर्तगत 1–19 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं को "एल्बैन्डाजोल" की गोली वर्ष में दो बार नि:शुल्क वितरित की जाती है । यह कार्यक्रम सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलो और कुछ प्राईवेट स्कूलों व आगनवाडी केंद्रों के माध्यम से पूरी दिल्ली मे चलाया जाता है। – उडान मासिक स्वच्छता कार्यक्रम के अंर्तगत 10–19 आयुवर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को छः सैनिटरी नैपकिन का एक पैक प्रति माह छः रू मे आशा द्वारा आगनवाडी केंद्रों के माध्यम से पूरी दिल्ली में दिया जाता है। **अनुदान और कानूनी** योजनाओं के अंतगर्त दी जाने वाली सुविधाएं :– क. राज्य वित्त पोषित योजनाएं :– 1. जिला स्तर के अस्पताल में पी पी यूनिट और 2. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा ख केंद्र प्रायोजित (भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित) योजनाएं 1. जिला ब्यूरो और शहरी परिवार कल्याण केंद्र 2. शहरी परिवार कल्याण केंद का पुनरूद्धार/स्वास्थ्य पोस्ट 3. उप केन्द्र के अंतर्गत, दिल्ली में जे जे क्लस्टरो सहित सेवाविहीन और कम सेवा वाले क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय को परिवार कल्याण सेवाओं के प्रावधान के लिए दिल्ली नगर निगम (स्थानीय निकायत) को सहायता जारी की जाती है । **पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम** के अंतगर्त दी जाने वाली सुविधाए पीसी एंड पीएनडीटी के अंर्तगत दिल्ली सरकार ने खबरी योजना को मंजूर किया है । जिसके तहत खबरी को 50,000 रूपये का इनाम दिया जाएगा और डिकॉय (गर्भवती महिला) को 150000 रूपये का इनाम दिया जाएगा। **परिवार नियोजन** योजनाओं के अंतगर्त दी जाने वाली सुविधाए – परिवार नियोजन मुहावजा योजना–किसी भी सार्वजनिक या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्था मे नलबदी/नसबदी करवाने वाले को मुआवजे के तौर पर निश्चित धन राशि प्रदान की जाती है । परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना–नलबदी/नसबंदी आप्रेशन की विफलता/जटिलता/मृत्यु के पश्चात् पीडित/पीड़िता/मृतक के परिवार को निश्चित धन राशि प्रदान की जाती है। Performance Linked Payment Plan for PPIUCD & PAIUCD इस योजना के तहत सुविधा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा कार्यकर्ता को 150/–रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आई0यू0सी0डी0 लगवाने वाले को भी 300/–रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है । Home Delivery of Contraceptives – इस योजना के तहत आशा द्वारा गर्भ निरोधक उपायो को घर–घर तक पहुचाया जाता है । निश्चय किट योजना (Pregnancy Testing Kit) - इस योजना के तहत आशा द्वारा उनके क्षेत्र की महिलाओं को गर्भधारण जानकारी किट घर–घर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे महिला समय पर गर्भ जाच/ गर्भपात करा सके।

जारी पृष्ठ/2

SANJEEV KHIRWAR, IAS
PRINCIPAL SECRETARY
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Sectt., New Delhi

Scanned with CamScanner

ख)	क्या कल्याणकारी गतिविधियों में स्वयं सेवी संगठन जुड़े हुए हैं;	इस विभाग से कल्याण्कारी गतिविधियों में कुछ स्वयं सेवी संगठन जुडे हैं ।
ग)	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सरकार कितनी सहायता उपलब्ध कराती है;	किसी भी गैर सरकारी संगठन को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है । हालांकि, परिवार कल्याण सेवाओं/टीकाकरण सेवाओं के लिए लोजिस्टिक कुछ गैर सरकारी संगठनों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जो जनता को निःशुल्क प्रदान किया जाता है । परिवार नियोजन के तहत केवल बी0पी0एल0/एस0सी0/एस0टी0 उपभोक्ताओं को प्रदान की गई नसबंदी सेवाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को योजना दर (रूपये 1500/– प्रति ग्राहक मुआवजा दिया जाता है) ।
घ)	सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है; और	आवेदन सम्बंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिया जा सकता है ।
ड.)	यदि कोई स्वयंसेवी संगठन आर्थिक सहायता लेने के बावजूद कार्य नहीं कर रहा है तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है ?	कार्य हो जाने के बाद ही मुआवजा दिया जाता है । अतः कार्यवाही लागू नहीं होती ।

(संजीव खिरवार)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

SANJEEV KHIRWAR, IAS
PRINCIPAL SECRETARY
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Sectt., New Delhi

Scanned with CamScanner